रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, बुधवार, जून 23, 2004/आषाढ़ 2, 1926
No. 132] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 23, 2004/ASADHA 2, 1926

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 17 जून, 2004

फा. सं. 11-7/2004-बाग.—कृषि में प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग पर राष्ट्रीय समिति जो मूलतया 1981 में रासायनिक और पेट्रोरासायनिक विभाग में गठित की गई थी, 1993 से कृषि और सहकारिता विभाग में कार्यरत है । इसे 1996 में पुनर्गठित किया गया था । इस समिति को और अधिक प्रभावी बनाने तथा बागवानी में पलास्टिक पदार्थों के उपयोग को बढावा देने के लिए कृषि में प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग पर राष्ट्रीय समिति को 2001 में बागवानी में पलास्टिकल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति के रूप में पुनर्गठित किया गया । बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (जिसे अब के बाद समिति के रूप में उल्लिखित किया जाएगा) के रूप में कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है । इस समिति की संरचना तथा विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :-

संरचना

1.	केन्द्रीय कृषि मंत्री	अध्यक्ष
2.	कृषि राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, कृषि और सहकारिता	सदस्य
4.	सचिव, रासायनिक और पेट्रोरासायनिक विभाग	सदस्य
5.	सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)	सदस्य
6.	सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य

7.	बागवानी के प्रभारी अपर सचिव, कृ.व सह.वि.	सदस्य
8.	कृषि आयुक्त, कृषि व सहकारिता विभाग	सदस्य
9.	उप-महानिदेशक (बागवानी), भा.कृ.अनु.परि.	सदस्य
10.	वित्तीय सलाहकार, कृषि व सहकारिता विभाग	सदस्य
11.	प्रधान सलाहकार (कृषि), योजना आयोग	सदस्य

दो राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

12.	कृषि उत्पादन आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
13.	सचिव (कृषि), महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
14.	सचिव (बागवानी), उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
15.	सचिव (बागवानी), मिजोरम सरकार	सदस्य

नाबार्ड के प्रतिनिधि

16.	मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, मुम्बई	सदस्य

भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि

17.	निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	सदस्य

दो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति

18.	कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	सदस्य
19.	कुलपति, वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	सदस्य

हाइ टैक बागवानी उद्योग के प्रतिनिधि

20.	अध्यक्ष, भारतीय सिंचाई संघ, बंगलौर	सदस्य
21.	ग्रीनहाउस निर्माताओं के प्रतिनिधि	सदस्य
22.	माइक्रोप्रोपगेशन (टी.सी.) एकक के प्रतिनिधि	सदस्य

कृषि परिसंघ

23. अध्यक्ष, भारतीय बागवानी संघ

सदस्य सचिव

24. बागवानी आयुक्त सदस्य-सचिव

विचारार्थ विषय

7 . इस समिति के विचारार्थ इस प्रकार होंगे :-

(i) प्लास्टिक कि उपयोग के माध्यम से बागवानी विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं तैयार करना, जिसमें उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम बनाने और उत्पाद की क्वालिटी सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

(ii) कृषि में प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राजस्व नीति, किसानों को राजसहायता रूपी सहायता आदि जैसे उचित नीतिगत उपाय संस्तुत करना ।

(iii) ड्रिप सिंचाई प्रणालियों, ग्रीन (हरित) गृहों, मल्चिंग, पैकेजिंग आदि जैसे विभिन्न प्लास्टिकल्चर उपयोगों को प्रचार-प्रसार और उनके अधिक अपनाए जाने के लिए कार्यनीतियां सुझाना ।

(iv) कृषि जल प्रबंधन आदि में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पदार्थों के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, डाटा-बेस तैयार करने और गुणस्तर संबंधी मानक निर्धारित करने में सहायता देने की व्यवस्था करना ।

(v) विशेष तौर पर सुव्यवस्थित फार्मिंग विकास केन्द्रों के काम-काज और देश में प्लास्टिकल्चर के सामान्य समग्र विकास का प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण तथा मानिटरिंग करना ।

(vi) देश में प्लास्टिकल्चर को बढ़ावा देने से संबंधित कोई अन्य मामला ।

8. बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबंधी, राष्ट्रीय समिति का कार्यकाल इस संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा । गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल अध्यक्ष की इच्छानुसार होगा । इस समिति की बैठक जितनी बार आवश्यक हो, होगी परन्तु वर्ष में कम से कम एक बार जरूर होगी । यह समिति वार्षिक आधार पर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

9. समिति के लिए अपेक्षित सचिवालयी सहायता बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति के केन्द्रीय समन्वय कक्ष द्वारा मुहैया किया जाना जारी रहेगा जिसमें दिल्ली स्थित भारतीय पेट्रोकैमिकल्स से लिए गए कार्मिक सम्मिलित हैं ।

10. कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और गैर-सरकारी सदस्यों को समिति के कार्य के लिए की जाने वाली यात्राओं के संबंध में यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का व्यय समिति के लिए आबंटित धन में से वहन किया जाएगा । अन्य पदेन सदस्यों के संबंध में इस प्रकार का खर्च उनके संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जाएगा ।

डा. एम. एल. चौधरी, बागवानी आयुक्त

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

RESOLUTION

New Delhi, the 17th June, 2004

F. No. 11-7/2004-Hort.—The National Committee on use of Plastics in Agriculture (NCPA) which was originally constituted in the Department of Chemicals and Petrochemicals in 1981 has been functioning in the Department of Agriculture & Cooperation since 1993. It was reconstituted in 1996. In order to make this Committee more effective and to focus its endeavour in a coordinated manner for promoting the applications of plastics in horticulture, NCPA was reconstituted in 2001 as National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH). It has been decided to reconstitute National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH) (hereinafter referred to as the Committee) under the Department of Agriculture & Cooperation. The composition and Terms of Reference (TOR) of the Committee are as under:-

A. Composition:

1. Union Agriculture Minister	Chairman
2. Minister of State for Agriculture	Vice-Chairman
3. Secretary, DAC	Member
4. Secretary, Department of Chemicals and Petrochemicals	-do-
5. Secretary (DARE) & DG (ICAR)	-do-
6. Secretary, Ministry of Water Resources	-do-
7. Addl. Secretary I/c of Horticulture, DAC	-do-
8. Agriculture Commissioner, DAC	-do-
9. Dy. Director General (Hort.), ICAR	-do-
10. Financial Adviser, DAC	-do-
11. Principal Adviser (Agri.), Planning Commission	-do-

Representative of two State Governments

12. Agriculture Production Commissioner, Govt. of Andhra Pradesh	-do-
12. Secretary (Agri.), Govt. of Maharashtra	-do-
13. Secretary (Horticulture), Government of Uttar Pradesh	-do-
14. Secretary (Horticulture), Government of Mizoram	-do-

Representative of NABARD

15. Chief General Manager, NABARD, Mumbai	-do-

Representative of Bureau of Indian Standards

16. Director, BIS, New Delhi -do-

Vice Chancellors of two State Agricultural Universities

17. Vice Chancellor, University of Agricultural Sciences, Bangalore -do-
18. Vice Chancellor, Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Solan -do-

Two representative of Hi-tech Horticulture Industry

19. President, Irrigation Association of India, Bangalore -do-
20. Representative of Green House Manufacturers -do-
21. Representative of Micropropagation (TC) Units -do-

Farmer's Associations

22. President, Confederation of Indian Horticulture, Pune. -do-

Member Secretary

23. Horticulture Commissioner Member Secretary

B Terms of Reference:

i) To prepare plans for promoting horticulture development through plasticulture applications with special reference to optimizing the use of available water resources and improving quality of the product.

ii) To recommend suitable policy measures such as fiscal policy, subsidy assistance to farmers etc. for promotion of use of plastics in agriculture.

iii) To suggest strategies for propagation and increased adoption of various plasticulture applications like drip irrigation systems, green houses, mulching packaging, etc.

iv) To arrange promotion of Research and Development, to build data-base, to assist in prescribing quality standards for plastics used in agriculture, water management, etc.

v) To supervise and monitor effectively the performance of Precision Farming Development Centres (PFDCs) in particular and overall development of plasticulture in general in the country.

vi) Any other matter connected with promotion of plasticulture in the country.

6. The term of NCPAH will be for a period of three years from the date of issue of the Resolution. The non-official members shall hold office during the pleasure of the Chairman, NCPAH. The committee shall meet as often as necessary but at least once in a year. The Committee shall submit its report to the Government on annual basis.

7. The Secretarial assistance required for the Committee will continue to be provided by the Central Coordination Cell of NCPAH serviced by personnel drawn from the Indian Petrochemicals Ltd. located at Delhi.

8. The expenditure on TA/DA of the Vice-Chancellors of State Agricultural Universities and the non-official members in connection with the journeys undertaken on Committee's business will be met out of the funds allocated for the Committee. The corresponding expenditure in respect of other ex-officio members will be borne by their respective Departments.

DR. M. L. CHOUDHARY, Horticulture Commissioner

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.